न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
99/19	22.08.2019	3/11/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

रणजीत सिंह पुत्र तेजराज सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. तेजराज सिंह पुत्र मेहन्द्र जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद हाल निवासी मकान नं0 244 प्रताप नगर प्रथम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. रणवीर सिंह पुत्र तेजराज सिंह जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद हाल निवासी मकान नं0 244 प्रताप नगर प्रथम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
3. कृष्णाकंवर पुत्री तेजराज सिंह पत्नी पुष्पेन्द्र जाति राजपूत निवासी मामाजी की हवेली बनीयानी चौराह उदयपुर हाल मकान नं0 244 प्रताप नगर प्रथम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट वादी की ओर से
– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम गांवडी तहसील दीगोद में ख0नं0 81 रकबा 3.39 हे0, ख0नं0 89/223 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 90 रकबा 3.48 हे0 कुल किता 3 रकबा 7.42 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि पुश्तेनी है जिस पर वादी अपनें हिस्से अनुसार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम खातें दर्ज होने से वादी को अपनें हिस्से 1/4 भूमि पर विकास कार्य करनें एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करनें मे काफी परेशानी आ रही है। इसलिए वादी उक्त भूमि में से अपना हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज करवानें का कानूनन अधिकारी है। विवादित आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 के खातें दर्ज हानें से प्रतिवादी नं0 1 उक्त भूमि को अन्यत्र रहन, बैचान करने पर आमादा है। उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 का अधिकार निहित होनें से प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4–1/4–1/4 बनता है। उक्त भूमि पुश्तेनी होनें से वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 का जन्मतः हक अधिकार होनें से वादी को हिस्सानुसार 1/4 भूमि का बतौर खातेदार

Scanned by CamScanner

काश्तकार घोषित किया जावें। वाद कारण दिनांक 2.08.2019 को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवानें से मना करनें पर ग्राम गांवडी में उत्पन्न हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम गांवडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 81 रकबा 3.39 हे0, ख0नं0 89/223 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 90 रकबा 3.48 हे0 कुल किता 3 रकबा 7.42 हे0 भूमि पुश्तेनी होनें से वादी का जन्मतः अधिकार निहित होनें से तथा मौके पर वादी 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होनें से वादी को बतौर प्रतिवादी नं0 1 व 2 तथा 3 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गांवडी सं0 2074–77 खाता नं0 23
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गांवडी सं0 2030–31
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गांवडी सं0 2030–32

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 द्वारा प्रकरण में इकबालिया जवाब के साथ उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, जिस पर पक्षकारान् ने सहमति जाहिर की। वादी की पहचान वकील श्री सुरेन्द्र दाधीच व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की पहचान वकील श्री रामबाबू दाधीच द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2074–77 खाता नं0 112 के अनुसार विवादित आराजीयात् का प्रतिवादी नं0 1 तेजराज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह खातेदार राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3, तेजराज सिंह की संतान है तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 नें मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जानें की स्वीकारोक्ति प्रदान की है।

चूंकि प्रकरण पिता एवं संतान के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विचारण करनें के उपरान्त संतान का अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। प्रतिवादी नं0 3 कृष्णाकंवर अपना

Scanned by CamScanner

हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपनें स्वत्वों का त्याग करनें के फलस्वरूप वादी हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी नं0 1 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी नं0 2 हिस्सा 1/3 धारण करनें के अधिकारी है।

लिहाजा वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम गांवडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 81 रकबा 3.39 हे0, ख0नं0 89/223 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 90 रकबा 3.48 हे0 कुल किता 3 रकबा 7.42 हे0 भूमि में वादी रणजीत सिंह को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी नं0 1 तेजराज सिंह को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी नं0 2 रणवीर सिंह को 1/3 हिस्से का खातेंदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नं0 3 द्वारा अपनें स्वत्वों को त्यागनें के परिणामस्वरूप सम्बन्धित से नियमानुसार हकत्याग की राशि वसूल कर पालना करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 8 /11 /2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

रणजीत सिंह पुत्र तेजराज सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. तेजराज सिंह पुत्र मेहन्द्र जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद हाल निवासी मकान नं0 244 प्रताप नगर प्रथम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. रणवीर सिंह पुत्र तेजराज सिंह जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद हाल निवासी मकान नं0 244 प्रताप नगर प्रथम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
3. कृष्णाकंवर पुत्री तेजराज सिंह पत्नी पुष्पेन्द्र जाति राजपूत निवासी मामाजी की हवेली बनीयानी चौराह उदयपुर हाल मकान नं0 244 प्रताप नगर प्रथम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–99/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम गांवडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 81 रकबा 3.39 हे0, ख0नं0 89/223 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 90 रकबा 3.48 हे0 कुल किता 3 रकबा 7.42 हे0 भूमि में वादी रणजीत सिंह को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी नं0 1 तेजराज सिंह को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी नं0 2 रणवीर सिंह को 1/3 हिस्से का खातेंदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

नं0 3 द्वारा अपनें स्वत्वों को त्यागनें के परिणामस्वरूप सम्बन्धित से नियमानुसार हकत्याग की राशि वसूल कर पालना करें।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 8/11/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner